भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3188
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

महाराष्ट्र में पीएमईजीपी

3188. **श्री संजय हरिभाऊ जाधवः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र के परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ख) लाभार्थियों को संवितरित मार्जिन मनी राजसहायता का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र सहित देश भर में उक्त योजना के माध्यम से सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विशेषकर महाराष्ट्र के परभणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लंबित अथवा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या और ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): विगत पांच वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र की परभणी लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तपोषक बैंकों द्वारा 348 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएम) पर वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा **अनुलग्नक-I** पर है।

(ग): विगत पांच वर्षों के दौरान देश भर में पीएमईजीपी के अंतर्गत लगभग 36.33 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में रोजगार के 1.37 लाख सृजित अवसर शामिल हैं।

(घ): पीएमईजीपी को 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात दिनांक 31 मार्च 2026 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई थी। दिनांक 31 मार्च 2026 के बाद भी स्कीम को जारी रखने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक आयोजित हुई है। परभणी लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र सहित पूरे देश में लंबित स्वीकृत आवेदनों के लिए एमएम सब्सिडी की आगामी किस्त/राशि को जारी किया जाना स्कीम को जारी रखने के संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्भर करेगा।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत परभणी लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्र में वित्तपोषक बैंकों द्वारा 1,133 परियोजनाओं को निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति न किए जाने, अपूर्ण अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में कमियों, परियोजनाओं के व्यवहार्य न होने, क्रियाकलापों के निषेध-सूची के अंतर्गत आने, व्यक्तिगत विवरण, सामाजिक श्रेणी अथवा स्थान संबंधी विवरण में असंगति तथा अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण अस्वीकृत किया गया है।

अनुलग्नक-I: दिनांक 06.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3188 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित।

विगत पांच वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्योरा:

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.39	2.03	1.34	0.96	0.7
2	आंध्र प्रदेश	100.89	129.3	172	143.74	218.82
3	अरुणाचल प्रदेश	7.89	7.01	17.65	8.53	9.75
4	असम	66.58	59.54	64.06	91.1	74.73
5	बिहार	81.69	121.23	191.76	150.45	134.61
6	चंडीगढ़	0.62	0.45	0.22	0.25	0.1
7	छत्तीसगढ़	69.4	74.93	76.25	65.64	42.3
8	दादरा और नगर हवेली	0.26	0.17	0.23	0.04	0.07
9	दमण और दीव	0.08	0.11	0.42	0.08	0.63
10	दिल्ली	3.15	4.71	3.34	1.75	0.89
11	गोवा	2.98	2.91	3.23	1.78	1.22
12	गुजरात	286.97	241.72	320.82	203.56	201.62
13	हरियाणा	60.93	63.2	73.25	42.78	63.26
14	हिमाचल प्रदेश	35.51	31.5	36.48	29.32	33.14
15	जम्मू और कश्मीर	467.1	239.94	282.5	239.41	155.45
16	झारखंड	41.88	48.38	51.23	36.06	23.25
17	कर्नाटक	158.41	161.54	158.62	94.67	141.55
18	केरल	68.58	73.29	78.82	58.96	57.25
19	लद्दाख	11.82	3.76	5.85	6.4	8.47
20	लक्षद्वीप	0.17	0.02	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	209.58	181.3	185.21	95.62	84.29
22	महाराष्ट्र	129.92	131.86	121.82	104.98	142.31
23	मणिपुर	33.37	14.63	8.11	15.08	10.24
24	मेघालय	9.74	6.66	7.25	34.71	25.1
25	मिजोरम	14.62	13.54	17.55	15.9	13.63
26	नागालैंड	24.95	15.35	29.18	36.03	13.11
27	ओडिशा	113.34	107.32	93.55	53.43	92.73
28	पुडुचेरी	1.44	0.66	0.97	1.11	0.59
29	पंजाब	60.17	72.51	90.88	66.74	82.59
30	राजस्थान	90.25	114.19	124.06	72.48	122.76
31	सिक्किम	2.14	1.31	4.49	11.45	11.31
32	तमिलनाडु	164.45	178.92	198.72	121.15	199.35
33	तेलंगाना	98.46	102.25	108.12	82.82	111.71
34	त्रिपुरा	20.84	16.89	14.44	18.61	16.65
35	उत्तर प्रदेश	411.63	378.66	435.29	219.09	303.6
36	उत्तराखंड	39.83	46.32	41.92	24.12	21.55
37	पश्चिम बंगाल	85.38	74.09	74.23	53.21	38.02